

धारा(4) (1) ख (iv)

अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए स्वयं द्वारा स्थापित मापमान/मानक

मत्स्य निदेशालय के कार्यों के निर्वहन बिहार जलकर प्रबंधन अधिनियम 2006, यथा संशोधित 2007, 2010 एवं 2018, सचिवालय अनुदेश, बजट मैन्यूल, वित्त विभाग एवं सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा निर्गत अनुदेश के अनुसार किया जाता है। बजट उपबंध के अनुसार विभागीय योजनाओं की स्वीकृति प्राप्त कर विकास कार्यक्रमों का कार्यान्वयन किया जाता है।

